

# उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

संख्या :- 83 (१) / ०२

दिनांक : 20-01-2014

## प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स रॉगटा सन्स प्राईवेट लिमिटेड, चाईबासा बोकना आयरन एण्ड ऐगनीज माईन्स, रिवर फोरेस्ट, सेपटी जोन प्रखण्ड-नोवामुण्डी के लिए प्रस्तावित कुल 4.677 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति रथानीय भाषा/मातृभाषा में ग्रामसभा को व्यख्यापित कर दी गई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
- प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।



उपायुक्त  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा  
पश्चिमी अञ्चल  
जिला स्तरीय विकास अधिकार समिति,  
वन अधिकार अधिनियम, 2006

# उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

संख्या :- ३१ / ५०

दिनांक : २२/०१/२०११

## प्रभाण—पत्र

- प्रभाणित किया जाता है कि मेरे रूँगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड परियोजना के लिए प्रस्तावित 134.133 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि बोकना के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
- प्रभाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्रामसभा को व्यव्यापित कर दी गई है।
- प्रभाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्युनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- प्रभाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3-(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
- प्रभाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा -3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।



उपायुक्त  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा  
— सह अध्यक्ष  
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,  
वन अधिकार अधिनियम 2006